गोपनीय

संख्या - 003/डी.एस.पी/9
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 08.01.2004

कार्यालय आदेश सं0 1/1/04

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

विषय: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा प्रशासनिक प्राधिकारियों के मध्य मतभेद ।

महोदय/महोदया,

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जहां विभाग/संगठन तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मध्य उन मामलों में मतभेद हो जहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि के अंतर्गत अभियोजन की सिफारिश की है, वहां आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा संबंधित विभाग/संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक का आयोजन करेगा । ऐसी बैठक में विभाग/संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी इस संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी से विवरण लें । तथापि, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी संयुक्त बैठक में भाग लेना चाहते हैं तो इसमें आयोग को कोई आपत्ति नहीं है ।

2. मुख्य सतर्कता अधिकारी इसे सभी संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

ह0/-
(अंजना दूबे)
उप सचिव